



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या - 358 राँची, मंगलवार, 2 अगस्त, 2022 (ई०)

परिवहन विभाग

संकल्प

1 अगस्त, 2022

ज्ञापांक:-परि.आ.-6344/2011-1043--श्री रघुनन्दन ठाकुर, चलंत दस्ता सिपाही, गढ़वा (मुरीसेमर चेकपोस्ट) की प्रतिनियुक्ति कार्यालय आदेश सं-64 सहपठित ज्ञापांक-499, दिनांक-30.05.2016 के माध्यम से समाप्त करते हुए परिवहन विभाग (मुख्यालय) में योगदान देने का निदेश दिया गया था। उक्त निदेश के अनुपालन में श्री ठाकुर के द्वारा (प्रस्तुत संकल्प निर्गत होने की तिथि) विनिर्दिष्ट पदस्थापन कार्यालय यथा परिवहन विभाग (मुख्यालय) में योगदान नहीं दिया जाने की स्थिति में विभागीय संकल्प संख्या-1352, दिनांक-07.12.2020 द्वारा श्री ठाकुर के विरुद्ध सरकारी आदेश/निदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता एवं अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने संबंधी प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों को आरोप पत्र प्रपत्र-क में गठित करते हुए सरकार द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत श्री निरंजन कुमार, उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को संचालन पदाधिकारी तथा

श्री प्रभाकर आनन्द, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था ।

2. श्री निरंजन कुमार, उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के अन्यत्र स्थानान्तरण होने की स्थिति में उक्त कार्यवाही के संचालन हेतु श्री श्याम नारायण राम, उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

3. प्रस्ताव एवं संकल्प पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन/आदेश प्राप्त है ।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी एक प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) आरोपों की सूची सहित श्री रघुनन्दन ठाकुर, चलंत दस्ता सिपाही, गढ़वा (मुरीसेमर चेकपोस्ट) एवं संचालन पदाधिकारी श्री श्याम नारायण राम, उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय ।

रवि शंकर विद्यार्थी,

संयुक्त परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।
